अति-महत्वपूर्ण

संख्या-2595/9-8-2011-4(37)आ0न0यो0/10

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Sr. 15

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निकाय,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊ :: दिनांक 22 सितम्बर, 2011

विषयः आदर्श नगर योजना के सुचारू रूप से क्रियान्वयन/संचालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उ0प्र0 स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर अधिनियम 2007 की धारा-14(1)(छ) के अधीन स्थानीय निकायों को अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, विकास एवं रख-रखाव हेतु सहायता उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है ताकि समान रूप से व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग को बढ़ावा मिल सके। तत्क्रम में राज्य सरकार द्वारा एक लाख से कम आबादी वाली निकायों जो यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी. योजना से आच्छादित नहीं है, में अवस्थापना सुविधाओं यथा पेयजल, सीवरेज, जल समूह संरचना, ड्रेनेज, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट(ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन), स्लाटर हाउस, सड़के, मार्ग प्रकाश व्यवस्था व अन्य सार्वजनिक सुविधायें इत्यादि के विकास हेतु शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-555/9-5-2008-370सा/06 दिनांक 24.01.2008 द्वारा आदर्श नगर योजना लागू करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश निर्गत किये गये है। इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा 90 प्रतिशत धनराशि तथा नगरीय निकाय द्वारा 10 प्रतिशत धनराशि वहन किये जाने की व्यवस्था है।

2. प्रदेश में आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत चयनित निकायों में अधिक से अधिक वहाँ की अवस्थापना सुविधाओं को विकसित कर वहां की व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिये जाने के उद्देश्य से निकायों को कार्य योजना(डी.पी.आर.) तैयार किये जाने के निर्देश निदेशक, स्थानीय निकाय तथा शासन स्तर से सम्बन्धित निकायों को जारी किये गये है। आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों द्वारा अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उपलब्ध करायी गयी डी.पी.आर. का विधिवत् परीक्षण किये जाने के उपरान्त कतिपय मामलों में यह पाया गया है कि निकाय द्वारा उपलब्ध करायी गयी डी.पी.आर. न तो सक्षम स्तर से अनुमोदित होती है और न ही तैयार किये गये आगणन पी.डब्ल्यू.डी. के

शिडयूल्ड ऑफ रेट के अनुसार होते है। जिससे जहाँ एक ओर वित्तीय धनराशि अवमुक्त किये जाने में विलम्ब होता है वहीं अनावश्यक पत्राचार करने से शासन एवं निदेशालय का समय नष्ट होने के साथ साथ विलम्ब होने से विकास कार्य बाधित होता है। इसके साथ ही कार्य योजना में सम्बन्धित अधिकारियों के पदनाम की मोहर के ऊपर मात्र हस्ताक्षर होने से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वास्तव में कार्य योजना की किस-किस अधिकारी द्वारा मूल्यांकित/प्रतिहस्ताक्षरित किया गया है जिससे कार्य योजना की प्रमाणिकता सिद्ध नहीं हो पाती है।

इसके अतिरिक्त आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत चयनित निकायों को अवमुक्त की गई धनराशियों के सापेक्ष निकाय द्वारा कराये गये विकास कार्यो की गुणवत्ता के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से समय-समय पर शिकायतें प्राप्त हुई है जिसे शासन द्वारा अत्यन्त ही गम्भीरता से लिया गया है।

3. अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्तावों का परीक्षण करते समय निम्नानुसार कार्यवाही की जाय :

(1) निकाय द्वारा आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत तैयार की जाने वाली कार्ययोजना /डी.पी.आर. में योजना की गाइड लाइन्स के अनुसार कार्यो का चयन कर आगणन इस प्रकार तैयार किया जाय कि इससे निकायों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाना सुनिश्चित हो सके और कार्य योजना/डी.पी.आर. पी. डब्ल्यू.डी. के शैड्यूल्ड ऑफ रेट के अनुसार होने चाहिए तथा कार्य योजना के प्रत्येक पृष्ट पर अवर अभियन्ता/अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष के नाम/पदनाम सहित मोहर के साथ हस्ताक्षरित हो। बिना नाम/पदनाम से हस्ताक्षरित होकर निदेशालय/शासन स्तर पर प्राप्त होने वाली कोई भी कार्य योजना स्वीकार नहीं की जायेगी।

(2) लोक सेवकों/मा0 जन प्रतिनिधियों द्वारा इण्टरलाकिंग ब्रिक्स/डामरीकरण से निर्मित सड़के सी.सी. की तुलना में कम गुणवत्तायुक्त, अल्प स्थायी होने एवं अत्याधिक खर्चीली होने के दृष्टिगत् निकायों में निर्मित होने वाली सड़के पुनः सी.सी. से कराये जाने के अनुरोध के दृष्टिगत् शासनादेश संख्या-1043/9-9-09-269ज/05 दिनांक 01.06.09 द्वारा नागर निकायों में अवस्थापना निधि/अन्य निधि से निर्मित होने वाली सी.सी. रोड़ के निर्माण के प्रतिबन्ध को कतिपय शर्तो के अधीन समाप्त किया जा चुका है। अतः कार्ययोजना में इण्टरलाकिंग ब्रिक्स के स्थान पर सी.सी. द्वारा सड़क के बनाये जाने को वरीयता दी जाय।

(3) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत तैयार की गयी कार्य योजना/डी.पी.आर. को वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-ई-8-1210/दस-2008 दिनांक 04 अप्रैल, 2008 के प्राविधानों के अन्तर्गत रू0-40.00 लाख तक के प्रत्येक आगणन का परीक्षण अधिशासी अभियन्ता/समकक्ष स्तर से प्रतिहस्ताक्षरित कराकर दो प्रति निदेशालय और एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय। यहां यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य योजना/डी.पी.आर. को प्रतिहस्ताक्षरित करने वाले अधिशासी अभियन्ता का नाम/पदनाम सहित मोहर लगी होनी चाहिए।

(4) आदर्श नगर योजना के अन्तर्गत शासन स्तर से धनराशि अवमुक्त हो जाने के उपरान्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कराये जा रहे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का दायित्व प्रभारी, स्थानीय नागर निकाय का होगा तथा कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे कार्यों की रेन्डम चेकिंग समय-समय पर जिलाधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट तकनीकी अधिकारियों के माध्यम से सुनिश्चित की जायेगी। योजना के अन्तर्गत निकाय द्वारा कार्य पूर्ण कर लिये जाने के उपरान्त "कम्पलीशन सर्टीफिकेट" तभी दिये जाये जब जिलाधिकारी द्वारा कराये गये कार्यों की गुणवत्ता तकनीकी अधिकारियों से परीक्षण करा लें। यदि कराये गये कार्यों की गुणवत्ता कहीं भी अधोमानक का पाया जाय तो इसके लिए सम्बन्धित निकाय के अवर अभियन्ता, अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष तथा प्रभारी अधिकारी, स्थानीय नागर निकाय का दायित्व निर्धारित किया जाय एवं दायित्व का निर्धारण 30 : 30 : 30 : 10 का होगा एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी तद्नुसार दायित्व का निर्धारण करते हुए अवस्थापना विकास हेतु कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(दुर्गा शंकर मिश्र)
प्रमुख सचिव

संख्या-2595(1)/9-8-11-4(37)आ.न.यो./10 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त अधिशासी अधिकारी, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश मिश्र)
विशेष सचिव